क्रम संख्या–106 (ख)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 ई0

अग्रहायण 25, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 455/iX/2022–30(01)/2021

देहरादून, 16 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प0 आ0–34

एतद्द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उपधारा (3) के खण्ड (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य में पंजीकृत परिवहन यानों को स्वस्थता परीक्षण के प्रयोजन से विभाग के किसी कार्यालय अथवा परीक्षण स्थल अथवा स्वचालित परीक्षण केन्द्र पर प्रस्तुत किए जाने हेतु उनके परमिटों में विनिर्दिष्ट मार्ग और क्षेत्र से बाहर ले जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि स्वस्थता परीक्षण हेतु ले जाते समय यान में किसी यात्री/माल का परिवहन नहीं किया जाएगा।

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04/परिवहन/389–2025–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।